राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–1808/2013/बाड़मेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बालोतरा .....अपीलार्थी.

बनाम्

मैसर्स टैक्सकेम ऑर्गेनिक्स, बालोतरा .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी. ओझा
उप–राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री वी.सी. सोगानी
अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 30.05.2017

निर्णय

1. उक्त अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा गया है) के अपील सं. 74/आरवेट/बीएमआर/12–13 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के वित्तिय वर्ष 2009–10 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.01.2012 को पारित किया गया। जिसमें समस्त रिटर्न दिनांक 31.01.2011 के पूर्व प्रस्तुत किया परन्तु अपीलार्थी द्वारा कुल कर रूपये 4,95,798/– के स्थान पर 2,28,046/– रूपये जमा कराये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 58 के तहत् 1,03,855/– रूपये शास्ति तथा 87,700/– रूपये ब्याज का आरोपण किया तथा दिनांक 08.08.2012 को जमा राशि में संशोधन कर 5,17,938/– कर दिया गया तथा शास्ति 1,03,855/– रूपये व ब्याज 22,608/– रूपये का कायम रखा गया। कर निर्धारण अधिकारी के संशोधित आदेश में संशोधन हेतु अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.12.2012 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 12(92)एफ.डी./टैक्स/2011–46, दिनांक 15.09.2011 द्वारा दिनांक 30.09.2011 के पूर्व समस्त देय कर व रिटर्न जमा हो जाने की स्थिति में ब्याज एव शास्ति को माफ कर दिया गया है, को आधार बनाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना का लाभ अपीलार्थी को नहीं दिया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 27.12.2012 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन आवेदन को अस्वीकार कर

लगातार.....2.

30/05/17

दिया गया। इस दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.03.2013 द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.08.2012 को संशोधित कर धारा 58 की शास्ति एवं धारा 55 के अधीन आरोपित ब्याज को समाप्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी अपीलाधीन आदेश को दिनांक 20.03.2013 आदेश द्वारा संशोधित किये जाकर शास्ति और ब्याज को समाप्त कर दिये जाने के कारण अपील सारहीन मानते हुए अपील दिनांक 22.04.2013 को खारिज कर दी। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.04.2013 के संबंध में इस अधिनियम की धारा 33 के तहत् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिसंशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त परिसंशोधन आवेदन को स्वीकार कर आदेश दिनांक 13.06.2013 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2012 को अपास्त कर दिया गया तथा दिनांक 08.08.2012 के आदेश में आरोपित शास्ति रूपये 1,03,855/– एवं ब्याज रूपये 22,608/– अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के अनुसार माफ (*waive*) योग्य होने से अपास्त कर दिया गया। राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.06.2013 से व्यथित होकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.12.2012 में अंकित किया कि ''व्यवहारी डीम्ड कर निर्धारण योजना का पात्र नहीं होने से आवेदन व आवेदन में अंकित अनुसार परिशोधन का निवेदन अस्वीकार किया जाता है।'' विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20.03.2013 को धारा 58 की शास्ति को समाप्त करने के जो आदेश पारित किये गये वह केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत् आरोपित शास्ति को समाप्त करने से संबंधित थे जिसे गलती से वेट अधिनियम के तहत् संशोधन मान लिया गया। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रत्यर्थी के विरूद्ध संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.08.2012 द्वारा आरोपित शास्ति 1,03,855/– रूपये एवं ब्याज राशि 22,608/– रूपये को विधि सम्मत है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 27.12.2012 द्वारा परिसंशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकर किये जाने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलार्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे यह कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी ने आक्षेपित आदेश 13.06.2013 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 27.12.2012 को अपास्त करने एवं आदेश दिनांक 08.08.2012 में आरोपित शास्ति 1,03,855/– रूपये एवं ब्याज राशि

30/05/17

लगातार.....3.

22,608/– रूपये को अपास्त किये जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा वर्तमान अपील को स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.06.2013 को अपास्त करने एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 08.08.2012 द्वारा आरोपित शास्ति एवं ब्याज को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.06.2013 का समर्थन किया गया तथा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त कर दिनांक 14.03.2010 तक जमा करा दिया गया और अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के अनुसार दिनांक 30.09.2011 तक बकाया कर जमा कराने पर शास्ति एंव ब्याज की राशि वेव किये जाने योग्य थी तब प्रत्यर्थी के विरूद्ध शास्ति एवं ब्याज का आरोपण विधि विरूद्ध है। इस लिये अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त करने एवं शास्ति व ब्याज की राशि को वेव किये जाने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 13.06.2013 विधि सम्मत होने से यथावत रखने एवं अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

6. उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वर्तमान अपील में विचारणीय प्रश्न यह है कि जब व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 की समस्त रिटर्न एवं देय कर अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के अनुसार दिनांक 30.09.2011 से पूर्व जमा करवा दिया गया तब शास्ति एवं ब्याज का आरोपण माफ (*waive*) किए जाने योग्य है या नहीं?

7. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के संशोधित आदेश दिनांक 08.08.2012 में प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2009–10 की चारों त्रैमासिक विवरण प्रपत्र वेट–10 विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण कर अधिनियम की धारा 58 के तहत् रूपये 103855/– शास्ति एवं कर विलम्ब से जमा कराये जाने पर धारा 55 के तहत् ब्याज राशि 22,608/– रूपये कुल 1,26,463/– रूपये आरोपित की गयी। जिसे अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गयी। इस दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20.03.2013 द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.08.2012 को संशोधित कर धारा 58 की शास्ति एवं धारा 55 के अधीन आरोपित ब्याज को समाप्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी अपीलाधीन आदेश को दिनांक 20.03.2013 आदेश द्वारा संशोधित किये जाकर शास्ति और ब्याज को समाप्त कर दिये जाने के कारण अपील सारहीन मानते हुए अपील दिनांक 22.04.2013 को खारिज कर दी। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22.04.2013 के संबंध में इस

30/05/17

लगातार.....4.

अधिनियम की धारा 33 के तहत् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा परिसंशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त परिसंशोधन आवेदन को स्वीकार कर आदेश दिनांक 13.06.2013 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2012 को अपास्त कर दिया गया तथा दिनांक 08.08.2012 के आदेश में आरोपित शास्ति रूपये 1,03,855/– एवं ब्याज रूपये 22,608/– अधीसूचना दिनांक 15.09.2011 के अनुसार माफ (*waive*) योग्य होने से अपास्त कर दिया गया। राजस्व द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.06.2013 को वर्तमान अपील में चुनौती दी गयी। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2011 को अधिसूचना जारी की गई जो निम्न प्रकार है:–

S.No. 2766[no.F.12(25)FD/Tax/11-169]Dated: 30-03-2011

In exercise of powers conferred by section 51A of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the state Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby waives the amount of penalty and interest payable, for the year 2009-10, by the dealers who have filed all returns and have deposited all due tax relating to the year 2009-10 up to 1 [30.09.2011]

1. Substituted for "31-03-2011" by (S.No. 2773) dated 01-04-2011 and further subs for "13-04-2011" by (S.No. 2781) dated 15-04-2011 .

Superseded by (S.No. 2825) dated 15-09-2011.

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा यह अधिसूचना जारी की गई कि वर्ष 2009–10 के विवरण प्रपत्र एवं समस्त बकाया कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा कराने पर व्यवहारी द्वारा अदा किये जाने वाली शास्ति एवं ब्याज माफ (*waive*) किया जाता है।

8. संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.08.2012 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2009–10 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ त्रैमासिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की दिनांक क्रमशः 18.12.2009, 18.12.2009, 30.06.2010 तथा 30.06.2010 थी। वार्षिक विवरण प्रपत्र 10ए प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 31.01.2011 थी। यद्यपि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2009–10 के चारों त्रैमासिक विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये गये। किन्तु समस्त रिटर्न दिनांक 31.01.2011 के पूर्व विभाग में प्रस्तुत किये जा चुके थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(92)एफ.डी/टैक्स/2011–46, दिनांक 15.09.2011 के अनुसार वर्ष 2009–10 के किसी भी कर निर्धारण आदेश चाहे वह धारा 22, 23, 24 या 25 के किए जाये उन मामलों में दिनांक 30.09.2011 के पूर्व जमा होने एवं विवरण पत्र जमा होने की स्थिति में उससे संबंधित ब्याज एवं शास्ति को वेव किया जा चुका है।

30/05/17

लगातार.....5.

9. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2009–10 के समस्त विवरण प्रपत्र दिनांक 31.01.2011 तक जमा करा दिये गये एवं देय कर 4,95,798/– रूपये के विरूद्ध 5,17,938/– रूपये दिनांक 14.03.2010 तक जमा कराया जा चुका था। अतः ऐसी स्थिति में ऊपर वर्णित राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(92)एफ. डी./टैक्स/2011–46, दिनांक 15.09.2011 के अनुसार वर्ष 2009–10 के विवरण प्रपत्र एवं समस्त बकाया कर दिनांक 30.09.2011 तक जमा कराने पर भी व्यवहारी के विरूद्ध शास्ति एवं ब्याज का आरोपण विधि विरूद्ध है।

10. इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 27.12.2012 को पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। अतः कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.12.2012 को अपास्त किये जाने एवं कर निर्धारण आदेश दिनांक 08.08.2012 में आरोपित शास्ति रूपये 1,03,855/– एवं ब्याज रूपये 22,608/– अधिसूचना दिनांक 15.09.2011 के अनुसार माफ (*waive*) में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटिकारित नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष में आदेश दिनांक 13.06.2013 पारित किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने योग्य है।

11. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 13.06.2013 की पुष्टि की जाती है।

12. निर्णय सुनाया गया।

30/05/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य